Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 12, Issue No. 2, January-2017, ISSN 2230-7540

अपराध स्थल को सुरक्षित रखने के तरीके एवं विश्लेषण

Narender Kumar[1]* Dr. Rakhee P. Kelaskar[2]

[1] Research Scholar, Dept. of Sociology, OPJS University, Churu, Rajasthan

[2] Professor, OPJS University, Churu, Rajasthan

सारांश – पुलिस की महत्त्वपूर्ण भूमिका के साथ ही यह भी देखना है कि वर्तमान में अपराधी और अपराध करने के तरीके बेहद हाईटेक हो गए है। और पुलिस के सामने अनेक बार यह चुनौती हो जाती है वह अपराधस्थल को सुरक्षित कैसे रखे जिससे अपराधी को सजा मिल सके और लोगों को पुलिस और कानून में विश्वास कायम हो सके।

----------X----------

प्रस्तावना

अपराध होने के बाद सबसे अहम जगह अपराध स्थल बन जाती है। पुलिस वहाँ पहुँच तो जाती है लेकिन दोषी को सलाखों के पीछे पहुँचाने के लिए पुलिस को सबसे पहले अपराध स्थल का मुआयना करना चाहिए और सुरक्षित रखने के साथ–साथ सैम्पल कलैक्ट करने चाहिए ताकि वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से यह साबित किया जा सके कि असली गुनाहगार कौन है?

मामला

अपराध होने के स्थान को घटनास्थल कहते हैं, अपराध होने के बाद अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी स्वयं या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को घटनास्थल की सुरक्षा एवं अपराध की सत्यता का पता लगाने की जिम्मेदारी देता है, जिसे अनुसंधान अधिकारी कहा जाता है, जिसके द्वारा न्यायिक विज्ञान एवं अनुसंधान किट की सहायता से साक्ष्यों का संकलन किया जाता है।

न्यायिक विज्ञानी लोकार्ड के अनुसार अपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि "अपराधी अपराध स्थल पर कुछ–न–कुछ साथ लेकर आता है एवं जाते समय अपने साथ कुछ लेकर जाता है और कुछ अपने पीछे छोड़ जाता है।" यही सबूत कहलाते हैं।

मान लीजिए किसी मकान में मकान मालिक का मर्डर हो जाता है और इसकी सूचना पुलिस थाना को मिलती है तो वहाँ पहुँचने वाले पुलिस अधिकारी की सर्वप्रथम जिम्मेदारी अपराध स्थल और हर वस्तु जो अपराध स्थल पर मिले और जिसके अपराध में काम में लिए जाने की सम्भावना है, जैसे खून के धब्बे, पांवों के निशान, हाथ और अंगूलियों के निशान एवं अन्य को सुरक्षित रखने की होती है ताकि फोरेसिंक विशेषज्ञ, फोटोग्राफर, डॉग स्कवॉड, खोजी, एमओबी, फिंगर प्रिंट टीम, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं अन्य आवश्यक विशेषज्ञ टीम के आने तक अपराध के साक्ष्य सुरक्षित रह सके।

कई बार अभियुक्त अपराध के महत्त्वपूर्ण साक्ष्य तो बहुत बार कमजोर साक्ष्य घटना स्थल पर छोड़ जाते हैं और पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि अनुसंधान अधिकारी इस बात का ध्यान रखें और पूर्ण सावधानी बरतते हुए अपराध स्थल को सुरक्षित रखकर सूक्ष्म अवलोकन करे ताकि अनुसंधान अधिकारी का उद्देश्य पूर्ण हो सके और अभियुक्त के विरूद्ध अपराध के श्रेष्ठतम साक्ष्य संकलित कर समाज के पीडित सदस्य का न्याय के प्रदान किया जा सके। घटना स्थल को सुरक्षित करने हेतु उसे चिन्हित कर चारों ओर रस्सी या अन्य वस्तु से उसकी घेराबन्दी कर देनी चाहिए जिससे अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर पाए।

यह कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस से जुड़े प्रशासनिक पक्षों और पुलिस–अपराध–अपराधी पर तो अनेक शोध कार्य हो चुके हैं लेकिन अनुसंधान स्थल को सुरक्षित रखने के लिए अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपनाई जानी वाली प्रक्रिया एवं उसकी भूमिका विषय पर बहुत कम या कोई बिरला ही शोध हुआ है और इस शोध में हम पुलिस द्वारा अपराध स्थल को सुरक्षित रखने जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर शोध करके जाना कि किस प्रकार पुलिस अनुसंधान अधिकारी थोड़ी सी सावधानी बरतकर अपराधियों को सलाखों तक पहुँचा सकते हैं और अपनी ड्यूटी और भी बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकते हैं।

वर्तमान समय में जब अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो यह जरूरी भी है कि समाज और जनहित में पुलिस अपराध स्थल को सुरक्षित रखे ताकि अपराधियों के विरूद्ध श्रेष्ठतम साक्ष्य एकत्रित कर समाज के पीडित सदस्य को न्याय प्रदान किया जा सके। आजकल इस क्षेत्र में तेजी से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है लेकिन यह भी सही है कि सभी दृष्टिकोण से इसका अध्ययन समकालीन एवं प्रासंगिक है ताकि कानून की "अन्धा कानून" वाली मिथ्या मिथक की छवि में सुधारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

वर्तमान अध्ययन में अपराध स्थल एवं उसकी सुरक्षा, अनुसंधान अधिकारी की भूमिका और उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, संस्था व संगठन के रूप में अन्य जिम्मेदारियाँ तथा पुलिस अधिकारियों के मध्य वास्तविक व्यावहारिक संबंधात्मक स्वरूपों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, जो अपने आप में अध्ययन की दृष्टि से इस विषय को महत्त्वपूर्ण बनाता है।

www.ignited.in

इस शोध का मुख्य उद्देश्य वर्तमान परिस्थितियों में अपराध स्थल को सुरक्षित रखने के लिए अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और अनुसंधान अधिकारी की भूमिका का विश्लेषण करना है और इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल किया गया है–

1. अपराध स्थल पर वर्तमान में साक्ष्य एकत्रित करने के तरीकों का अध्ययन।
2. अपराध स्थल पर साक्ष्य संकलन में कहाँ, क्यों और क्या कमियां रह जाती है, उनका अध्ययन करना?
3. इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
4. वर्तमान कार्य पद्धति में क्या कमी और उनमें सुधार किस प्रकार किया जा सकता है?

प्रस्तावित शोध में शोधकर्ता द्वारा मुख्यतः सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया। जिसमें अपराधी और अपराध स्थल और अनुसंधान अधिकारी के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। शोध के सर्वेक्षण प;ति के अन्तर्गत निम्न विधियों का उपयोग किया गया :–

1. अपराध स्थल का निरीक्षण
2. सूक्ष्म अवलोकन पद्धति
3. साक्षात्कार पद्धति
4. प्रश्नोत्तरी पद्धति
5. केस स्टडी प्रणाली
6. तुलनात्मक विश्लेषण
7. पूर्व में निर्णित मामलों का विवेचन
8. पीडितों से वार्तालाप
9. प्रत्यक्ष दर्शियों से वार्तालाप
10. पुलिस अधिकारियों से वार्तालाप
11. अन्य विशेषज्ञों से वार्तालाप

वर्तमान काल में अपराधी अपराध करते समय अत्याधुनिक उपकरण और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण उनकी सूक्ष्मता का विश्लेषण साधारण व्यक्ति के वश में नहीं होता है, इसलिए जब तक कि विशेषज्ञ घटना स्थल पर न पहुँच जावे तब तक अपराध स्थल पर विशेष ध्यान रखकर उसे सुरक्षित रखने की जरूरत होती है, ताकि अपराध स्थल पर विशेष ध्यान रखकर उसे सुरक्षित रखने की जरूरत होती है, ताकि अपराध स्थल पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों और दिये जाने वाले दिशा–निर्देशों से आम आदमी को फायदा मिल सके।

आसान नहीं है अपराध्–अन्वेषण

अपराध से अपराधी तक पहुँचना अत्यन्त टेढ़ी खीर है। यह कार्य उतना आसान नहीं है जितना इसे समझा जाता है। पुलिस को अपराधों की तह में जाकर निरापद सत्य का पता लगाना होता है। (जमना चौधरी बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ए.आई.आर 1974 एस.सी. 1922)

यह कार्य अन्वेषण के माध्यम से किया जाता है। अपराधों का अन्वेषण पुलिस का प्रमुख कार्य है और एक कला भी। एक कुशल एवं अनुभवी पुलिस अधिकारी ही सफल अन्वेषणकर्ता हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि अन्वेषण अधिकारी को सदा निष्पक्षता का परिचय देना चाहिए। मेधासिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा' (ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 2339) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि ऐसे पुलिस अधिकारी को मामले का अन्वेषण नहीं करना चाहिए जिसने स्वयं ने उस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है।

अन्वेषण का निष्पक्ष होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सामान्यतः अन्वेषण में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने 'आर.एस. सोंधी बनाम स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश' (ए.आई. आर. 1994 एस.सी. 38) के मामले में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि न्यायालय को अन्वेषण में तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब उसमें पक्षपात की आशंका प्रतीत होती हो।

अन्वेषण की दृष्टि से अपराधों को दो भागों में वर्गीकृत किया हैं–

(1) संज्ञेय अपराध; एवं

(2) असंज्ञेय अपरा;

संज्ञेय अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से है जिसमें पुलिस अधिकारी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अर्थात् वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है जबकि असंज्ञेय अपराध में वारन्ट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 ग एवं 2 ठ)

इन दोनों अपराधों के अन्वेषण की प्रक्रिया भिन्न–भिन्न हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस अधिकारी की शक्तियों में थोड़ा अन्तर है।

संज्ञेय मामलों में अन्वेषण–पुलिस अधिकारी को संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की विपुल शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जब भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उसकी स्थानीय अधिकारिता में किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने की इत्तिला मिलती है, वह ऐसे अपराध का अन्वेषण प्रारम्भ कर सकता है। (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156) ऐसे मामलों में अन्वेषण के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है।

यदि ऐसे किसी अपराध के कारित होने का परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अन्तर्गत अन्वेषण हेतु पुलिस थाने के भारसाधनक अधिकारी के पास भेजा जा सकता है। ऐसा परिवार मिलने पर पुलिस अधिकारी उस पर वैसे ही अन्वेषण प्रारम्भ कर सकता है जैसे उसे इत्तिला मिलने पर किया जाता है।

www.ignited.in

जब भी पुलिस अधिकारी को ऐसे किसी अपराध के कारित होने की इत्तिला मिलती है जब उसका यह कर्त्तवय है कि–

(1) वह तत्परता से अन्वेषण करे, (रघुवीर सिंह और अन्य बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 149) एवं

(2) अन्वेषण में किसी प्रकार की कमी नहीं रखें। (परमहंस यादव एवं सदानन्द त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ बिहार और अन्य, ए. आई.आर. 1987 एस.सी. 955)

अन्वेषण के पश्चात् जब पुलिस अधिकारी द्वारा यह रिपोर्ट दे दी जाती है कि कोई मामला नहीं बनता है तब भी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा सकता है। (एच.एस. बेन्स बनाम यूनियन टेरीटरी ऑफ चण्डीगढ़, ए.आई.आर. 1980 एस.सी., 1883)

असंज्ञेय मामलों में अन्वेषण–पुलिस अधिकारी असंज्ञेय मामलों में अन्वेषण स्वतः प्रारम्भ नहीं कर सकता है। जब भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी असंज्ञेय अपराध के कारित किए जाने की इत्तिला दी जाती है तब उसका यह कर्त्तव्य है कि वह इत्तिला देने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश दे। (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 155) जब ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करता है तब मजिस्ट्रेट उसे अन्वेषण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 155(2) के अन्तर्गत पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास भेज सकता है।

मजिस्ट्रेट का आदेश मिलने पर पुलिस अधिकारी उस असंज्ञेय मामले का अन्वेषण उसी प्रकार कर सकता है जिस प्रकार संज्ञेय मामले का अन्वेषण किया जाता है। अन्तर सिर्फ इतना ही है कि असंज्ञेय मामलों के अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी अभियुक्त को वारन्ट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब इत्तिला एकाधिक अपराधों के बारे में दी जाती है और उनमें से कुछ अपराध संज्ञेय है और कुछ असंज्ञेय तो ऐस अपराधों का अन्वेषण संज्ञेय अपराधों की भांति किया जा सकता है। (प्रवीणचन्द्र बनाम स्टेट, ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1185)

अन्वेषण–विधि–अपरोधों का अन्वेषण एक कला है। अपराध से अपराधी तक पहुँचने की यात्रा अत्यन्त कष्टप्रद होती है। अन्वेषण अधिकारी को यह यात्रा तय करने के लिए निरन्तर चलना होता है। चाहे सर्दी हो गर्मी, वर्षा हो या कड़कड़ाती धूप, अन्वेषण अधिकारी की यात्रा अनवरत चलती रहती है। एक कुशल, कर्त्तव्यपरायण, ईमानदार, निष्ठावान एवं प्रशिक्षित अन्वेषण अधिकारी ही इस यात्रा को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकता है।

अन्वेषण की अपनी प्रक्रिया है। इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर चालान पेश करने तक अनेक औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 से 175 तक में इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान किया गया है।

संदर्भिका

अग्रवाल, ओ.एच. (1983). "भारत के विशेष सन्दर्भ में मानवाधिकारों को लागू करना", इलाहाबाद, किताब महल

बाजवा, जी.एस. (1995). "भारत में मानवाधिकार : उल्लंघन और क्रियान्वयन", नई दिल्ली, अनमोल प्रकाशन

बान्डुरा टी. एस. (1973). "एक समाजशास्त्रीय अधिगम विश्लेषण", प्रेनटीक हॉल, न्यू जर्सी

बजा, टी. एस. (1979). "मानवाधिकार : एक आलोचना", नई दिल्ली, मेट्रोपालिटिन बुक कम्पनी

Corresponding Author

Narender Kumar*

Research Scholar, Dept. of Sociology, OPJS University, Churu, Rajasthan

E-Mail – ashokkumarpksd@gmail.com